न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : – डिक्री 370 सन् 2015
पंजीयन दिनांक :– 30.11.2015

1. बाबुलाल पिता हीरालाल जाति लौहार निवासी जुना कीरखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़
2. श्रीमती अणछी पुत्री हीरालाल जाति लौहार निवासी जुना कीरखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़

–अपीलांटगण/वादीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

विरूद्ध

भूमिधारी जरिये तहसीलदार, कपासन जिला चित्तौडगढ़

–रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, कपासन
प्रकरण संख्या 28/2010 रेवेन्यू वाद निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2015

उपस्थित :– 1. सुरेश चन्द्र शर्मा – अधिवक्ता अपीलान्टगण/वादीगण
2. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी

निर्णय दिनांक :– 08.02.2023

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टगण वादीगण ने रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी के विरूद्ध वादपत्र धारा 88,89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ताराखेडी तहसील कपासन की साबिक आराजी नम्बर 691/3 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा अपीलान्टगण वादीगण के पिता के नाम दर्ज रेकार्ड रही जिसे नवीन भू–प्रबन्ध के दौरान आराजी नम्बर 876 रकबा 1.00 हैक्टेयर चरागाह में नर्ज करना बताते हुये अपीलान्टगण वादीगण के खातेदारी की भूमि को चरागाह आराजी में मिला दिया जाना भू–प्रबन्ध कार्य के अन्तिम दौर में पुनः शुद्धाशुद्धी पत्रक नोट कॉलम सं. 6 में दर्ज करते हुए उक्त आराजी में से 0.53 है0 रकबा अपीलांटगण वादीगण के नाम अंकित करने का उल्लेख किया गया जो गलत है। अपीलांटगण वादीगण की उक्त साबिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

आराजी के नये खसरा नम्बर 891 रकबा 3.06 है0 में मर्ज है जो चरनोट बना दी गई है जिसमें से अपीलांट्गण वादीगण 0.53 है0 रकबे पर काबिज होकर काश्त कर रहे है जिसे वादीगण के खातेदारी की घोषित की जावें। दस्तावेजी साक्ष्य से अपीलान्ट्गण वादीगण का वादपत्र प्रमाणित हो रहा था, लेकिन राजस्व अभिलेख मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को साबित नही होना मानते हुए निरस्त किये जाने के निर्णय व डिक्री पारित किये।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट्गण वादीगण ने इस न्यायालय मे दिनांक 23.11.2015 को म्याद बाहर प्रथम अपील प्रस्तुत की जिसे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी के सम्मन नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट्गण वादीगण ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की। म्याद को क्षम्य किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील मे हुए विलम्ब को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया।

न्यायहित मे अपीलान्ट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद मानी जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्ट्गण वादीगण ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट्गण वादीगण ने रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी के विरुद्ध वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मोजा ताराखेडी की साबिक आराजी नम्बर 691/3 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा अपीलान्ट्गण वादीगण के पिता के नाम दर्ज रेकार्ड रही जिसे नवीन भू-प्रबन्ध के दौरान नवीन आराजी नम्बर 876 रकबा 1.00 हैक्टेयर चरागाह में मर्ज करना बताते हुये अपीलान्ट्गण वादीगण के खातेदारी की भूमि को चरागाह आराजी में मिला दिया जाना भू-प्रबन्ध कार्य के अन्तिम दौर में पुनः शुद्धाशुद्धी पत्रक नोट कॉलम सं. 6 में दर्ज है। उक्त आराजी में से 0.53 है0 रकबा अपीलांट्गण वादीगण के नाम अंकित करने का

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

उल्लेख किया गया जो गलत है। अपीलांटगण वादीगण की उक्त साबिक आराजी नये नम्बर 891 रकबा 3.06 है0 में मर्ज है जो चरनोट बना दी गई है जिसमें अपीलांटगण वादीगण 0.53 है0 रकबे पर काबिज होकर काश्त कर रहे है जिसे वादीगण के खातेदारी की घोषित की जावें। भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा शुद्धि पत्र जारी किया जिसका इन्द्राज जमाबन्दी संवत् 2050-2051 मे है लेकिन उसका इन्द्राज पटवार परत मे नही किया गया जिसके कारण त्रुटि हुई है। दस्तावेजी साक्ष्य से अपीलान्टगण वादीगण का वादपत्र प्रमाणित हो रहा था, लेकिन राजस्व अभियान में अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को साबित नही होना मानते हुए निरस्त किये जाने के निर्णय व डिक्री पारित किये। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत हुआ था। ऐसी स्थिति मे उक्त पत्रावली मे तनकियात कायम की जाकर उभयपक्षकारान की साक्ष्य ली जाकर गुणावगुण पर विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित था, फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने बिना किसी लिखित राजीनामे के बिना साक्ष्य व सबूत लिये राजस्व लोक अदालत के तहत गुणावगुण पर निर्णय व डिक्री पारित किये है, जिससे अपीलान्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट दामाखेड़ा में उभयपक्ष ने उपस्थित होकर लोक अदालत की भावना से प्रकरण में सहमति से बिना तनकियात, साक्ष्य जिरह लिये सीधे ही बहस कर उसी दिन निर्णय करवाना चाहा। विचारण न्यायालय ने सहमति के आधार पर सीधे ही बहस सुनकर गुणावगुण पर प्रकरण निर्णित किया है जिसके विरूद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है। अपीलांटगण वादीगण द्वारा सहमति से पारित करवाये गये निर्णय व डिक्री के विरूद्ध चार माह विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई। विवादित कृषि आराजी चरागाह मे दर्ज रेकार्ड है। ऐसी स्थिति मे बिलानाम से चारागाह मे दर्ज करने के आदेश को सक्षम न्यायालय से अपीलान्टगण वादीगण निरस्त नही करवा लेते है, तब तक किस्म चारागाह मे दर्ज कृषि आराजी के सम्बन्ध मे अपीलान्टगण वादीगण किसी प्रकार की घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती कराने के अधिकारी नही है, जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत होने से अपीलान्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नही है।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। अपीलान्टगण वादीगण की ओर से रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी के विरूद्ध वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मोजा ताराखेडी की

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

साबिक आराजी नम्बर 691/3 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा अपीलान्टगण वादीगण के पिता के नाम दर्ज रेकार्ड रही। भू-प्रबन्ध के दौरान नवीन आराजी नम्बर 876 रकबा 1.00 हैक्टेयर चरागाह में मर्ज कर दी जाना तथा 0.53 है0 अपीलांटगण वादीगण के नाम अंकित करने का उल्लेख शुद्धाशुद्धी पत्रक का नोट कॉलम सं. 6 में दर्ज करने की कार्यवाही को गलत बताते हुये अपीलांटगण वादीगण की साबिक आराजी का रकबा नये खसरा नम्बर 891 रकबा 3.06 है0 में मर्ज कर चरनोट बना दी जाने का निवेदन किया जिसमें से 0.53 है0 अपीलान्टगण वादीगण के खातेदारी की होने से खातेदारी की घोषणा करते हुये रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द करवाने की दाद चाही। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है, जिससे पत्रावली मे तनकियात कायम की जाकर उभयपक्षो की साक्ष्य ली जाकर आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दिवानी की पालना मे गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना विधिसम्मत था, फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने बिना वैधानिक प्रक्रिया अपनाये, बिना किसी लिखित राजीनामे के राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट दामाखेडा के तहत निर्णय पारित करते हुए अपीलान्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को गुणावगुण पर निरस्त किये जाने के निर्णय व डिक्री पारित किये है, जो विधिसम्मत नही होने से अपीलान्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

फलस्वरूप अपीलान्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन के प्रकरण संख्या 28/2010 रेवेन्यू वाद मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2015 निरस्त किये जाते है। अपीलान्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर इन निर्देशो के साथ अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाती है कि उभयपक्षकारान के अभिवचनो के अनुसार पत्रावली मे तनकियात कायम की जाकर आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दिवानी की पालना करते हुए तनकीवार अजसरे नव निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान सुनवाई हेतु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 29.03.2023 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज0)